

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 270/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- आईदान पुत्र धोकलराम 2- गोस्धनराम पुत्र धोकलराम 3- मेलाराम पुत्र तोगाराम 4- मालाराम पुत्र तोगाराम 5- पालू पत्नी तोगाराम समस्त जातियान भील निवासीगण धारासर का तलां, बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर		1- उम्मेदाराम पुत्र मंगलाराम 2- ताजाराम पुत्र मंगलाराम 3- अणदाराम पुत्र मंगलाराम समस्त जातियान भील निवासी रूगोडी, मेघवालो की ढाणी, बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर 4- गंगाराम पुत्र उदाराम 5- दुर्गाराम पुत्र उदाराम 6- खरथाराम पुत्र उदाराम 7- विरदाराम पुत्र उदाराम समस्त जाति भील 8- आत्माराम पुत्र पोकरराम 9- अनोपाराम पुत्र दमाराम 10- मंचराराम पुत्र दमाराम रेस्पों सं० 8 -10 समस्त जातियान मेघवाल 11- जूंजाराम पुत्र अणदाराम 12- सूराराम पुत्र अणदाराम 13- किस्तुराराम पुत्र पुराराम 14- सालूराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट 15- लाखाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट 16- पदमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट 17- भूराराम पुत्र गुलाराम जाति जाट 18- नारणाराम पुत्र गुलाराम जाति जाट 19- सताराम पुत्र पेमराम जाति जाट 20- बांकाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 21- तुलछाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 22- बाबूलाल पुत्र पीराराम जाति जाट 23- मालाराम पुत्र पीराराम जाति जाट 24- हरूराम पुत्र देवाराम जाति जाट 25- शेराराम पुत्र पेमराम जाति जाट सभी निवासी धारासर का तलां, बायतू भीमजी तहसील बायतू जिला बाडमेर 26- तहसीलदार बायतु जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय दिनांक 26-5-2017 जो प्रकरण संख्या 251/2016 मे उपखण्ड
अधिकारी बायतू द्वारा पारित किया गया ।

उपरिस्थिति:-

- 1- श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की ओर से ।
- 2- श्री सिद्धार्थ कडवासरा अधिवक्ता रेस्पों संख्या 1 से 3 की ओर से ।
- 3- शेष रेस्पोंगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
- 4- राजकीय अधिवक्ता रेस्पों संख्या 26 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30-8-2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पों संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष ग्राम रूगोणी

मेघवालो की ढाणी के भूमि खसरा नंबर 719 रकबा 62 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 713 रकबा 0.03 बिस्वा, खसरा नंबर 725 रकबा 0.13 बिस्वा तथा खसरा नंबर 860/724 रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारो ओर मौके पर सीमाचिन्ह नहीं होना बताते हुए पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मंगवाये तथा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2017 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। वकील पक्षकारान की बहस सुनी। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि के खेतों तथा पडौसी खातेदारान वर्तमान रेस्पो 1 से 3 के खातेदारी खेतों के बीच सौ वर्ष पुरानी माठ मौके पर बनी हुई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोगण ने गलत तथ्य प्रकट करते हुए अपने खातेदारी की भूमि के चारों ओर पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वर्तमान अपीलांटगण को एवं अन्य रेस्पोगण को पक्षकार बनाया अवश्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि आदेशिका दिनांक 11-1-17 को विप्राथीगण के नोटिस तामिली इन्तजार के पत्रावली आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 28-2-17 को रखी गई तथा दिनांक 28-2-17 को नोटिस बाद तामिल प्राप्त परंतु विप्राथीगण के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली को बहस हेतु दिनांक 26-5-17 को रखी गई परंतु दिनांक 26-5-17 को पत्रावली नियमित कोर्ट में नहीं रखते हुए पत्रावली को केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतु भीमजी में लेजाकर विप्राथीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित कर दिया। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखने का कोई आदेश नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित कर दिया, जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सलंगन अपीलाधीन भूमि की पैमाईश रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई जबकि बिना सीमाज्ञान के नेखमबंदी का सीधा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के खेतों की सीमाचिन्ह नहीं होने का कथन

किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट तलब करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु मौके एवं सीमा की माठ के बारे में बिना कोई रिपोर्ट तलब किये ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांटगण ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा तथा अप्रार्थीगण को सुने बिना पारित किया होने से उक्त आदेश की जानकारी समय पर नहीं होने के कारण जानकारी होते ही इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है इसलिए इस अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया -।

अंत में वकील अपीलांटगण ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये थे जिनका उल्लेख आदेशिका दिनांक 27-12-16 में है तथा आदेशिका दिनांक 11-1-07 अनुसार नोटिस लोटकर अप्राप्त का उल्लेख है तथा पत्रावली तामिली इंतजार में दिनांक 28-2-17 को रखी गई । दिनांक 28-2-17 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होना तथा शामिल पत्रावली होने का उल्लेख है परंतु उक्त दिनांक 28-2-17 को अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 26-5-17 को बहस में रखी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का यह कथन है कि यदि अप्रार्थीगण दिनांक 28-2-17 को उपस्थित होते तो उन्हें आगामी तारीख पेशी तथा कैंप की सूचना हो जाती परंतु दिनांक 28-2-17 को बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मुकर्रर दिनांक 26-5-17 को जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जानकारी का कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नहीं किया जाने के कारण तथा विलंब का दिन-प्रतिदिन का कोई कारण उल्लेख नहीं होने के कारण इस अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में 2017 डी.एन.जे. (सु.को.) पेज 373 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 99 की निर्णय नजीरें पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अधिवक्ता की बहस

के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि इनकी ओर से धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई आज तक लिखित मे खण्डन नही किया है तथा अपीलाधीन निर्णय बिना सुनवाई के अवसर दिये पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से ऐसे आदेशो मे मयाद का बिन्दु गोण हो जाता है इसलिए अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसकी आदेशिकाएं, तथा अपीलाधीन निर्णय एवं वकील रेस्पोंड द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया । अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-17 की प्रथम जानकारी दिनांक 20-6-18 को गांव मे पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलांट संख्या 3 को बताने पर होने का उल्लेख किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26-5-17 को हो चुका था तो अपीलांटगण ने लगभग 11 माह की समयवधि मे अधीनस्थ न्यायालय से अपने प्रकरण की जानकारी हासिल क्यों नही की इसलिए मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्य संतोषजनक नही होने से अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय से अप्राथीगणो को नोटिस जारी किये गये थे जिनका उल्लेख आदेशिका दिनांक 27-12-16 मे है तथा आदेशिका दिनांक 11-1-07 मे नोटिस लोटकर अप्राप्त एवं पत्रावली तामिली इंतजार मे दिनांक 28-2-17 को रखी गई । दिनांक 28-2-17 की आदेशिका अनुसार अप्राथीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त परंतु अप्राथीगण बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर पत्रावली दिनांक 26-5-17 को बहस मे रखी, उस दिन भी अप्राथीगण अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए अपीलांटगण का यह कथन भी समर्थन योग्य नही माना जा सकता कि उन्हे बिना नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हो ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मयाद बाहर एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 386 दिनांक 26-5-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30-8-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)

अधिवक्ता, साम्भारीय आयुक्त
जोधपुर